न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/77/2019

अपींलाट तमाची खां पुत्र श्री दुला खां जाति मुसलमान
निवासी भंवरीसर, तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार शिव

आदेश

दिनांक : 11.12.2019

अपीलार्थी तमाची खां पुत्र श्री दुला खां जाति मुसलमान निवासी भंवरीसर, तहसील शिव जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता तहसीलदार शिव के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 24.10.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/- का पोस्टल ऑर्डर संख्या 822857 दिनांक 13.09.2019 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार शिव को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रकट किया हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना जरिए रजिस्टर्ड पत्र 22.10.2019 भिजवाई जा चुकी है। शेष सूचना के बारे में प्रार्थी को सूचित किया गया कि दस्तावेज काफी पुराना व जीर्ण-शीर्ण होने से तथा सूचना का विवरण अत्यधिक होने से कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित सूचना का चिह्नीकरण करावें ताकि सूचना उपलब्ध कराई जा सके। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियमानुसार निस्तारित किया गया है, लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलांट व रेस्पोडेंट को सुना एवं प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को जारी पत्राचार का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता हैं कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना यथा उपलब्धता दी जा चुकी है शेष के बारे में स्पष्ट विवरण के अभाव में दिए जाने में असमर्थता प्रकट की गई है। प्रार्थी को सूचित किया जा कर प्रार्थना पत्र का नियमानुसार निस्तारण किया गया है। अतः रेस्पोडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2019.12.28 13:40:25 IST
Reason: SelfAttested